

145

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1419-पीबीआर/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-3-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 130/11-12/अपील.

गुरुमेल सिंह पुत्र स्व. हरीसिंह  
कृषक ग्राम रामपुरा  
तहसील व जिला ग्वालियर  
हाल निवासी हनुमान कॉलोनी  
गोला का मन्दिर, ग्वालियर

.....आवेदक

विरुद्ध

1. दीपन्द्र कौर पत्नी हरीदत्त सिंह  
निवासी नौगजा रोड,  
शिन्दे की छावनी, लशकर, ग्वालियर
2. बृजलाल पुत्र दुल्ली  
निवासी ग्राम रामपुरा  
तहसील व जिला ग्वालियर  
हाल निवासी घमण्डी का पुरा  
तहसील व जिला ग्वालियर
3. म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक  
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदिका क्रमांक 1  
श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2  
श्री प्रखर ढेंगुला, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रामपुरा तहसील ग्वालियर स्थित प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 364/1 रकबा 2.290 हेक्टेयर में से 5 बीघा भूमि विक्रय करने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 2 बृजलाल एवं अनावेदिका क्रमांक 1 दीपरेन्द्र कौर के मध्य विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया। उक्त विक्रय अनुबंध पत्र का पालन अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा नहीं करने पर अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र का पालन कराये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा राजीनामा किया जाकर, उनके मध्य विक्रय पत्र सम्पादित हुआ। उक्त विक्रय पत्र के आधार आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक गुरुमेल सिंह के हक में भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण किया जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश राजस्व मण्डल तक यथावत रखा गया। प्रकरण प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ग्वालियर वृत्त 3 रायरू द्वारा दिनांक 30-8-2010 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण निरस्त किया जाकर, अनावेदिका क्रमांक 1 का नामांतरण स्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष पृथक-पृथक दो प्रथम अपीलें प्रस्तुत की गईं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरण क्रमांक 240/2009-10/अपील एवं 241/2009-10/अपील में दिनांक 20-10-2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय किये जाने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए उक्त भूमि पुनः पट्टाधारी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गईं। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/11-12/अपील एवं अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरणों में दिनांक 22-3-2017 को एकसाथ आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) ग्राम रामपुरा तहसील ग्वालियर स्थित सर्वे क्रमांक 364 रकबा 11 बीघा काबिल कास्त भूमि अनावेदक क्रमांक 2 बृजलाल के आधिपत्य में लम्बे समय से होने के कारण तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 84/1973-74/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 1-10-74 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अनावेदक क्रमांक 2 बृजलाल को दिया गया था, जिस पर उसे 10 वर्ष उपरान्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे ।

(2) अनावेदक क्रमांक 2 बृजलाल द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11-2-2002 के माध्यम से उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के हक में विक्रय पत्र निष्पादित किया जाकर आधिपत्य दिया गया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत रामपुरा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 6 दिनांक 7-7-2004 द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित हुआ है । आवेदक तभी से मौके पर काबिज होकर वर्तमान में आधिपत्यधारी है ।

(3) अनावेदिका क्रमांक 1 व अनावेदक क्रमांक 2 दुरभिसंधि करके प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 27-10-2004 को विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं होकर, आवेदक के नाम दिनांक 7-7-2004 को राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित है । आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 2 को अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 27-10-2004 को विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था ।

(4) अनावेदिका क्रमांक 1 को आवेदक के हक में निष्पादित विक्रय पत्र एवं नामांतरण की जानकारी थी, फिर भी उसके द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए बिना प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय में विक्रय अनुबंध का विशिष्ट पालन कराये जाने हेतु सिविल वाद क्रमांक 25ए/2004 ई.दी. प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त दिनांक प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 2 बृजलाल के नाम अंकित नहीं होकर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वह हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार था, किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जिस दिनांक को व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, उस दिनांक को राजस्व अभिलेखों में क्या स्थिति थी, के संबंध में

कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उक्त व्यवहार वाद अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 के राजीनामा के आधार पर समाप्त करा लिया गया एवं उक्त व्यवहार वाद में आवेदक के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। व्यवहार न्यायालय से अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध जो डिक्री पारित हुई है, वह आवेदक पर बंधनकारी नहीं है, क्योंकि आवेदक को उक्त व्यवहार वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) संहिता की धारा 158 (3) एवं 165 (7) के अंतर्गत पट्टेदार को पट्टे पर प्राप्त भूमि पर 10 वर्ष उपरान्त भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और 10 वर्ष पश्चात कलेक्टर की बिना अनुमति के भूमि विक्रय की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1973-74 में प्राप्त हुआ था और तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 3-1-89 को 10 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे विधिवत भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे और उसी के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र आवेदक के हक में दिनांक 11-2-2002 को निष्पादित किया गया है, जो कि 10 वर्ष की अवधि से अधिक है। अतः अनावेदक क्रमांक 2 को उक्त भूमि के विक्रय करने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(6) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उसके हक में निष्पादित विक्रय पत्र तथा नामांतरण आदि के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। विधि अनुसार जहां किसी भूमिस्वामी द्वारा एक बार विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया हो, तब उसे पुनः विक्रय करने का अधिकार नहीं है और न ही ऐसे विक्रय पत्र से क्रेता को कोई स्वत्व प्राप्त होते हैं, जिस पर कोई विचार नहीं कर आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है।

(7) माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है। आवेदक के मुकाबले अनावेदिका क्रमांक 1 व अनावेदक क्रमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व शेष नहीं रह गये थे, क्योंकि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक के हक में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 11-2-2002 को निष्पादित किया जा चुका था। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व अवशेष नहीं रहते हुए भी आवेदक के स्वत्व की भूमि को जयें विक्रय पत्र की जो कार्यवाही की है, उक्त कार्यवाही अवैध होने से तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा



आवेदक की अपील निरस्त कर पूर्व भूमिस्वामी का नाम अंकित किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा भी भूल की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज है और यदि ऐसे व्यक्ति को सिविल न्यायालय में की जा रही कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके हितों के विपरीत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तब ऐसे सिविल न्यायालय का आदेश उस पक्षकार पर बंधनकारी नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 168, 196, 2013 आर.एन. 8 (उच्च न्यायालय), 2010 आर.एन. 315 (उच्च न्यायालय), 2004 आर.एन. 150, 1987 आर.एन. 408 एवं 1982 आर.एन. 292 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1974 में प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर विधि अनुसार उसे वर्ष 1984 में भूमिस्वामी अधिकार हो गये थे एवं तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/88-89 में पारित आदेश से उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात अनावेदिका क्रमांक 1 से अग्रिम राशि प्राप्त कर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था, किन्तु तत्समय विक्रय पत्र का सम्पादन कलेक्टर की अनुमति के बिना संभव नहीं था । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित नहीं कराये जाने पर अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 को अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित किये जाने के आदेश दिये गये । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण की मांग किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें इस तथ्य की जानकारी हुई कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत से अपना नामांतरण करा लिया है, जबकि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक को भूमि विक्रय नहीं की गई थी, बल्कि आवेदक क्रमांक 2 को पैसों की आवश्यकता होने पर उक्त भूमि गिरवी रखी गई थी, किन्तु आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के अनपढ़ होने का फायदा

उठाकर, विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया गया । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत का उक्त आदेश निरस्त कर आवश्यक निर्देश के साथ प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश इस न्यायालय तक यथावत रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में विधिसंगत आदेश पारित कर आवेदक का नामांतरण आदेश निरस्त किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अनावेदक क्रमांक 2 को वर्ष 1974 में प्राप्त हुआ है और संहिता में संशोधन अक्टूबर, 1992 में हुआ है । अतः उसके पूर्व के अंतरण में कोई बाधा नहीं है, इसलिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, जिसे आवेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का दावा अमान्य किया है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में डिक्री पारित की है, राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि शासन द्वारा व्यवहार न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर खाण्डन नहीं किया है, इसलिए अब उन्हें आपत्ति करने करने का कोई अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी नहीं है, इसलिए उसे पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2013 आर.एन. 8 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करते हुए कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित नहीं किया जा सकता।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पट्टेदार अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये पट्टे की भूमि का विक्रय किया गया है, जबकि बिना सक्षम अधिकारी के पट्टे की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद राजीनामा के आधार पर समाप्त हुआ है, इसलिए शासन पर बंधनकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया था,

जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। इस आधार पर कहा गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपीलीय न्यायालयों का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रथमतः मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या पट्टे पर प्राप्त भूमि का अन्तरण कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किया जा सकता है अथवा नहीं। द्वितीय यह कि क्या व्यवहार न्यायालय का आदेश अनावेदक क्रमांक 3 शासन पर बंधनकारी है अथवा नहीं। इस संबंध में प्रथमतः यह बिन्दु निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 2 को पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जिसका अंतरण अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा कलेक्टर की बगैर अनुमति के किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पट्टे की भूमि के अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है, भले ही पट्टे की भूमि पर विक्रेता को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये हों। इस संबंध में 2002 आर.एन. 95 बुधुवा चमार विरुद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"अंतरण का केवल एक ढंग है - अंतरण, कलेक्टर की अपेक्षित अनुज्ञा के अभाव में विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण - विक्रय विलेख विधि की दृष्टि में विधिमान्य नहीं माने जा सकते- अंतरिती कोई अधिकार अथवा हक अर्जित नहीं करते।"

न्याय दृष्टांत 2011 आर.एन. 313 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आवेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना किये गये अंतरण अकृत, शून्य एवं दोषपूर्ण हैं। अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना तत्समय विक्रय पत्र सम्पादित संभव नहीं था। स्पष्ट है कि जब अनावेदिका क्रमांक 2 विक्रेता को ही प्रश्नाधीन भूमि के अंतरण का अधिकार नहीं था, तब अनावेदिका क्रमांक 1 क्रेता को स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस संबंध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार होकर अमान्य किये जाते हैं। जहां तक अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद प्रश्न है। उक्त व्यवहार वाद अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदक क्रमांक 3 शासन को भी पक्षकार बनाया गया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश

से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पूर्व ही अनावेदिका क्रमांक 1 व अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आपसी राजीनामा के आधार पर, बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किये प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया गया एवं उक्त राजीनामा के आधार पर व्यवहार वाद समाप्त करा लिया गया। व्यवहार न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है और न ही अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ व्यवहार न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय/डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है। स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही केवल अनावेदक क्रमांक 2 एवं अनावेदिका क्रमांक 1 से संबंधित है, अनावेदक क्रमांक 3 शासन से संबंधित नहीं है, इसलिए व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश अनावेदक क्रमांक 2 एवं अनावेदिका क्रमांक 2 पर ही बंधनकारी है। तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना विचार किये एवं दस्तावेजों का परिशीलन किये बिना अनावेदिका क्रमांक 2 का नामांतरण स्वीकार करने में भूल की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा पट्टे की भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुमति के बिना किये जाने एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र का सम्पादन कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरुद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

“धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।”

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं।



8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-3-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

*सिद्ध*  
सीडर

*मनोज गोयल*  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर